संख्या:380/2023/1696/001-41-2023-150-Budget-eco to-2018 T.C.-1

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 01 मई, 2023**

विषय:-जनपद पीलीभीत में चूका में टाइगर रिजर्व ईको टूरिज्म के कार्यो को कराये जाने हेतु जी0एस0टी0 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विष्यक अपने पत्र संख्या-9420/6-1-1(यू0सी0/रा0यो0)/2022-23 दिनांक 13.03.2023 एवं पत्र सं0-10144/6-1-1(862)वैल्यूम-2/2019-20 दिनांक 28.03.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. जनपद पीलीभीत में चूका में टाइगर रिजर्व ईको टूरिज्म के कार्यो को कराये जाने हेतु चयनित कार्यदायी संस्था कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0एण्ड डी0एस0), उ0प्र0 जल निगम द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

क्र0	वित्तीय वर्ष	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि
1	2019-20	शासनादेश सं0-302/2019/2884/41-2019-150 (बजट ईको टू0)/2018 टी0सी0-1 , दिनांक 31.12.2019	रू० 362.06 लाख (रूपये तीन करोड़ बासठ लाख छः हजार मात्र + जी0एस0टी0 वास्तविक भुगतान के आधार पर।	181.03 लाख (रूपये एक करोड़ इक्यासी लाख तीन हजार मात्र)
2	2020-21	शासनादेश सं0-304/2020 /4238/41-2020-150 (बजट ईको टू0)/2018 टी0सी0-1, दिनांक 19.12.2020		72.41 लाख (रूपये बहत्तर लाख इक्तालीस हजार मात्र)
3	2020-21	शासनादेश सं0-290 /2021/1285/41-2021-150 (बजट ईको टू0)/2018 टी0सी0-1, दिनांक 27.03.2021		108.62 लाख (रूपये एक करोड़ आठ लाख बासठ हजार मात्र)
4	2022-23	शासनादेश सं0-313/2022/1401/41-2022-150 (बजट ईको टू0)/2018 टी0सी0-1, दिनांक 07.06.2022	रू० 356.67 लाख (तीन करोड़ छप्पन लाख सड़सठ हजार मात्र) + जी0एस0टी0 (वास्तविकभुगतान के आधार पर) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति	--

3. तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 13.03.2023 एवं 28.03.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि का उपभोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त पाया गया कि निविदा लागत रू0 315.88 लाख पर 12.5 प्रतिशत सेन्टेज रू0 39.49 लाख, लेबरसेस 1 प्रतिशत रू0 3.16 लाख मिलाकर प्रायोजना की लागत रू0 358.53 लाख + जी0एस0टी0 होती है, जिसमें से रू0 362.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार निविदा लागत के अनुसार प्रश्नगत प्रायोजना हेतु रू0 3.53 लाख की धनराशि अधिक अवमुक्त हो चुकी है। प्रश्नगत प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 मद में रू0 41.02 लाख (रू0 35.07 लाख जी0एस0टी0 भुगतान की जा चुकी है तथा रू0 5.95 लाख जी0एस0टी0 भुगतान की जानी है) की मांग की गयी है। जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 41.02 लाख में से प्रायोजना हेतु अधिक अवमुक्त धनराशि रू0 3.53 लाख को घटाते हुए प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 के रूप में रू0 37.49 लाख अवशेष बचती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रश्नगत परियोजना हेतु जी0एस0टी0 के रूप में धनराशि रू0 37.49 लाख (रू0 सैंतीस लाख उनचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 31.12.2019, 19.12.2020, 27.03.2021 एवं 07.06.2022 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है तथा **निदेशालय द्वारा भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी भी दशा में प्रायोजना की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि का भुगतान न किया जायेगा तथा प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 मद में जमा की जाने वाली उल्लिखित धनराशि रू0 5.95 लाख सम्बन्धित फर्म से शीघ्र जमा करवाकर उसकी सूचना निदेशालय द्वारा शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जाय।**

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक),अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था, पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 37,49,000 **(** रुपये सैंतीस लाख उनचास हजार मात्र **)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801041000 इको टूरिज्म का विकास मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, पीलीभीत।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, पीलीभीत।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0एण्ड डी0एस0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
9- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-2, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0एण्ड डी0एस0), उ0प्र0 जल निगम, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)
10- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, बरेली/मुरादाबाद मण्डल, बरेली।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in